ए-12024/1/2017-प्रशा. ।(बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति आयोग अपने यहां संविदा आधार पर परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं की सेवाएं लेना चाहता है। पदों और उनके नियमों और शर्तों के साथ उनकी कार्यावधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नवत हैः

1	पद का नाम	परामर्शदाता (इन्फ्रा), परामर्शदाता (स्वास्थ्य), परामर्शदाता (कृषि), परामर्शदाता (विनिर्माण), परामर्शदाता (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), परामर्शदाता
2	पदों की संख्या	6 (छह)
3	भर्ती का तरीका	खुले बाज़ार के माध्यम से संविदा आधारित
4	संविदा की अवधि	परामर्शदाता के तौर पर किसी व्यक्ति की कार्यावधि 3 वर्ष तक होगी। किंतु, पहले और उसके बाद के वर्षों के उपरान्त संबंधित पदों पर उनकी निरन्तरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुपरिभाषित मुख्य निष्पादन सूचकों पर उनकी वार्षिक निष्पादन समीक्षा संतोषजनक है अथवा नहीं। आपवादिक परिस्थितियों में, तीन वर्ष के बाद कार्य विस्तार देने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।
5	शैक्षिक अर्हता	अनुलग्नक-। के अनुसार
6	अनुभव	
7	कार्य विवरण	
8	पारिश्रमिक (प्रति माह)	दिनांक 11-11-2016 के परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015 प्रशा. 1(ख) के पैरा 6 के अनुरुप। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

परामर्शदाताओं को काम पर रखने के नियम और शर्तें दिनांक 11-11-2016 के परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/02/2015 प्रशा. 1(ख) के अनुरुप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

नीति आयोग को बिना कोई कारण बताए, संविदा को किसी भी समय समाप्त कर देने का अधिकार होगा।

आवेदनों की प्रस्तुतिः आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। पात्र अभ्यर्थी नीति आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर, समाचारपत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख़ से 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी एक से अधिक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा।

अनुलग्नक।-

(क) परामर्शदाता (इन्फ्रा)-परिवहन/ऊर्जा/शहरी अवसंरचना सहित अवसंरचना

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थी को कम से कम एक अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) विधा में स्नातकोत्तर (ii) अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (बीई अथवा बी.टेक.) <u>वांछनीय</u> (i) पीएच.डी. (ii) अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री
अनुभव	अभ्यर्थी के पास अर्हता के उपरान्त न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसमें अवसंरचना क्षेत्रकों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव शामिल है। परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन/अनुवीक्षण संबंधी अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों में अपने विषय-क्षेत्र के केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त परियोजना/स्कीम/कार्यक्रम प्रस्तावों का प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन शामिल होगा,हालांकि यह इतने तक ही सीमित नहीं होगा। परामर्शदाता परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए अपने मूल्यांकन तकनीकों और कार्यविधियों में सर्वोत्तम वैश्विक कार्यशैलियों का समावेश करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेंगे।

(ख) परामर्शदाता (स्वास्थ्य)- स्वास्थ्य/महिला और बाल विकास/शिक्षा/कौशल विकास

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थी के पास निम्नांकित अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) किसी भी विधा में स्नातकोत्तर <u>वांछनीय</u> (ii) पीएच.डी.
अनुभव	अभ्यर्थी के पास अर्हता के उपरान्त न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य/शिक्षा/कौशल विकास तथा संबद्ध क्षेत्रकों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव शामिल है। परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन/अनुवीक्षण संबंधी अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों में अपने विषय-क्षेत्र के केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त परियोजना/स्कीम/कार्यक्रम प्रस्तावों का प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन शामिल होगा,हालांकि यह इतने तक ही सीमित नहीं होगा। परामर्शदाता परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए अपने मूल्यांकन तकनीकों और कार्यविधियों में सर्वोत्तम वैश्विक कार्यशैलियों का समावेश करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेंगे।

(ग) परामर्शदाता (कृषि) - कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक/जल संसाधन/ग्रामीण विकास

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर <u>वांछनीय</u> (ii) पीएचडी
अनुभव	अभ्यर्थियों के पास कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों/जल संसाधन/ग्रामीण विकास अथवा किसी संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम दो वर्ष के अनुभव सहित न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यनिरूपण (अप्रेज़ल)/मूल्यांकन/अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) में अनुभव को अधिमान्यता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : अपने विषय से संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त परियोजना/स्कीम/कार्यक्रम प्रस्तावों का प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन। परामर्शदाता परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए मूल्यांकन तकनीकों और कार्यप्रणाली के संबंध में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक कार्यशैलियों को अपनाने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेंगे।

(घ) परामर्शदाता (विनिर्माण) - एमएसएमई/वस्त्र/खाद्य प्रसंस्करण सहित विनिर्माण क्षेत्रक

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित में से कम-से-कम एक अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर (ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.ई. अथवा बी.टेक) <u>वांछनीय</u> (i) पीएचडी (ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर।
अनुभव	अभ्यर्थियों के पास एमएसएमई/वस्त्र/खाद्य प्रसंस्करण अथवा किसी संबंधित क्षेत्र सहित विनिर्माण क्षेत्र में कम-से-कम दो वर्ष के अनुभव सहित न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यनिरूपण (अप्रेज़ल)/मूल्यांकन/अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) में अनुभव को अधिमान्यता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : अपने विषय से संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त परियोजना/स्कीम/कार्यक्रम प्रस्तावों का प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन। परामर्शदाता परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए मूल्यांकन तकनीकों और कार्यप्रणाली के संबंध में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक कार्यशैलियों को अपनाने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेंगे।

(ङ) परामर्शदाता (एसएंडटी)

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित में से कम-से-कम एक अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/मैकिनल/मेटलर्जी/कम्प्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग/पर्यावरणीय विज्ञान/भौतिकी/रसायन-विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में एमएससी/एमई/एम.टेक। <u>वांछनीय</u> विज्ञान अर्थात् भौतिकी/रसायन-विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/ऊर्जा/पर्यावरणीय विज्ञान/इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में पीएचडी।
अनुभव	परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन, परियोजना अनुवीक्षण और प्रबंधन, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, उद्योग और शैक्षिक संस्थाओं के साथ विकास हेतु विचार-विमर्श, नीतिगत योजनाओं का विकास और कार्यनीतिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, मल्टीफीड गैसीफिकेशन, विकल्पी ईंधन जैसे मीथेनॉल/इथेनॉल/बायो-ईंधन आदि, ऊर्जा और जैव-प्रौद्योगिकी, स्ट्रेटेजिक मैटिरियल्स और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : मीथेनॉल अर्थव्यवस्था/साइबर सुरक्षा/कृत्रिम बुद्धिमत्ता/रोबोटिक्स/साइबर फिज़िकल सिस्टम्स/ऊर्जा नीति/कोयला गैसीफिकेशन/इस्पात उत्पादन/कम्पोज़िट मैटिरियल्स के महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में नीति आयोग के प्रयासों की संकल्पना तैयार करना और मार्ग प्रशस्त करना।

(च) परामर्शदाता

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्यः</u> अर्थशास्त्र, बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा लोक नीति में स्नातकोत्तर।
अनुभव	अभ्यर्थियों के पास नीति, कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं को तैयार करने, उनके अप्रेज़ल, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : विभिन्न क्षेत्रकों में विभिन्न वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अनुसंधान करना/उनका अध्ययन/विश्लेषण करना तथा ब्रीफ और पेपर तैयार करना।